COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
FIVE RUPEES INDIA Rs.5
FIVE RUPEES INDIA Rs.5

388

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी- 5767/2018/रतलाम/भू.रा.

रामेश्वर पिता अमरू जी जाति डांगी आयु करीब **45 वर्ष** धंधा कृषि
निवासी-ग्राम लुहारी तह.जावरा जिला रतलाम **(म.प्र.)** ...प्रार्थी

बनाम

उकारलाल पिता रामा जी जाति डांगी आयु करीब **45 वर्ष** धंधा कृषि
निवासी-ग्राम लुहारी तह.जावरा जिला रतलाम **(म.प्र.)** ....प्रतिप्रार्थी

श्री ... द्वारा आज दि. 18.9.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 05.10.18 नियत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 18.9.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

निगरानी बनाराजगी राजस्व प्रकरण क्र 122ए-12/17-18 उकारलाल वगैरा निवासी लुहारी तह.जावरा के तहसीलदार जावरा के न्यायालयीन पक्ष में पारित आदेश 2/6/18 से असंतुष्ट होकर ।

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी रामेश्वर की ओर से निम्नानुसार निगरानी **प्रस्तुत** है :-

1. यह है कि ग्राम लुहारी स्थित विपक्षी की कृषि **भूमि सर्वे** क्रमांक 132 रकबा 4.047 हेक्टर की नप्ती राजस्व निरक्षक वृत्त-2 जावरा **द्वारा** दिनांक 20/05/2018 को तथाकथित सीमांकन किया जाना बताकर अधीनस्थ **में** रिपोर्ट 28/05/2018 पेश की ।

18/9/18

2. यह है कि तथाकथित सीमांकन प्रार्थी की भूमि **प्रतिप्रार्थी** की बताकर विधि विपरीत सीमांकन किया गया एवं सीमांकन प्रार्थी के **पीठ पिछे** किया गया। उसके पंचनामे पर हस्ताक्षर भी नही है । एवं 20/05/2018 **को** राजस्व निरक्षक ने कोई सीमांकन नही किया । वास्तव में सीमांकन करते तो **प्रार्थी के** हस्ताक्षर पंचनामे पर अवश्य होते । जबकि पंचनामे में अमरू पिता निहाल ने **हस्ताक्षर** करने से मना किया ऐसा उल्लेख पंचनामे में किया परन्तु प्रार्थी रामेश्वर **सीमांकन** के समय उपस्थित था या नही पंचनामे में कोई उल्लेख है और न उसके हस्ताक्षर **है** ।इस प्रकार तथा कथित सीमांकन अवैध होकर फर्जी तोर पर प्रार्थी के पीठ पीछे **फर्जी** पंचनामा विपक्षी से साठ -गाठ कर बनाया गया जो अवैध होकर प्रभाव शुन्य **है** ।

3. यह है कि धारा 129 में प्रावधान है कि पडोसी **कृषको** की उपस्थिती में सीमांकन करना चाहिए । परन्तु पंचनामें में स्पष्ट है कि प्रार्थी के **पीठ** पीछे प्रतिप्रार्थी से साठ-गाठ कर फर्जी पंचनामा बनाया ।

निरंतर....2पर

XXIX(a)-BR(H)-11

388

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5767/2018/रतलाम/भू.रा. **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। पेशी दिनांक **प्रशासकीय सदस्य** (3)	